हर राज्य में 30 गांव बनाए जाएंगे चाइल्ड फ्रेंडली

पंचायतों को बनानी होगी बाल पंचायत

Poonam.Pandey
@timesgroup.com

चाइल्ड ट्रैफिकिंग और माइग्रेशन रोकने के लिए चाइल्ड राइट्स की टॉप बॉडी NCPCR ने चाइल्ड फ्रेंडली विलेज बनाने की पहल की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत आने वाले NCPCR ने इसके लिए कई राज्यों से बात भी कर ली है और राज्यों ने अपनी स्वीकृति भी दे दी है।

NCPCR मेंबर रूपा कपूर ने कहा कि बच्चे गांवों से शहरों की ओर इसलिए माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि गांवों में उनके लिए अवसर नहीं हैं। बच्चों से संबंधित स्कीमें उन तक पहुंच नहीं रही हैं। इसलिए हमने कई एनजीओ के साथ मिलकर 'नो कॉस्ट बेस्ड' प्रोग्राम तैयार किया है। इसे स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (SCPCR) एनजीओ और पंचायतों की मदद से लागू करेंगे। हर राज्य में ऐसे 30 गांवों की पहचान की जाएगी जिन्हें पहले फेज में 'चाइल्ड फ्रेंडली विलेज' बनाया जाएगा। कपूर ने कहा कि जो भी चाइल्ड फ्रेंडली विलेज होंगे वहां पंचायतों को बाल पंचायत का भी गठन करना होगा। इसमें गांव के 15 से 18 साल के किशोर होंगे। वे समस्याओं के चिह्नीकरण के साथ ही गांव की प्रायोरिटी पर भी पंचायत के साथ चर्चा में शामिल होंगे और अपनी राय देंगे। पहली बार सरकारी सेटअप के अंदर बाल पंचायत के गठन की पहल की जा रही है। साथ ही पंचायत को बच्चों के लिए रीक्रिएशन फैसिलिटी डिवेलप करनी होगी जिससे बच्चे क्रिएटिव एक्टिविटी में शामिल रहें। सबसे नजदीक के थाने को चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन में तब्दील करना होगा।